भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4307
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

बच्चों के लिए योजनाएँ

4307. **श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक स्तर पर कुपोषण, बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी और प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की समस्याओं का सामना कर रहे बच्चों की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास उक्त बच्चों के विकास, संरक्षण और कल्याण संबंधी कोई योजना/कार्यक्रम है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के हितों की सुरक्षा और उनकी स्थिति में सुधार के लिए उठाए जा रहे/प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) का संचालन कर रहा है, जो बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार और सामाजिक पुनः एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उलंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के संरक्षण का प्रावधान करता है। यह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखरेख और संरक्षण के

मानकों को परिभाषित करता है। इसके अलावा, बच्चों के विकास, संरक्षण एवं कल्याण के लिए मंत्रालय (1) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 और (2) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा, देखरेख तथा कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य, का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** (**पोषण 2.0): **इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप–घटकों में पुनर्गठित किया गया है (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा ।

(ii) **मिशन वात्सल्य**: मिशन वात्सल्य ने देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बेहतर पहुंच तथा सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को एक मिशन मोड में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य है: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को समर्थन और पोषण देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना (iii) नवोन्मेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए अवसर प्रदान करना।

*****